

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 849 / 2022

दिनांक 09.03.2022

श्रीमती रेखा राठौड़ (RJ0311), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, मेड़ता हाल न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर को दिनांक 21.02.2022 से 23.02.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती राठौड़ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, मेड़ता के पद पर ही की गई।

आज्ञा से  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08.03.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4) 15/2000/1917

दिनांक 09.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, मेड़ता को उनके पत्रांक 09 दिनांक 24.02.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रेखा राठौड़ (RJ0311), न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता ।

9.3.2022  
सहायक रजिस्ट्रार